

भारतीय सर्वेक्षण विभाग  
SURVEY OF INDIA

सं. No- सी 7569 / 37-जी-9

दूरभाष Telephone : 0135-656402  
फैक्स Fax : 0135-656402 (Direct.)  
ई-मेल E Mail :  
ukgdc.ddn.soi@gov.in



उत्तराखण्ड एवं पश्चिम उ० प्र० भू-स्थानिक  
आंकड़ा केन्द्र का कार्यालय  
17, ईस्ट कैनाल रोड, पत्र पेटी संख्या 122  
देहरादून - 248001  
17, E. C. Road, Post Box No. 122  
DEHRA DUN - 248001  
तारीख Dated: 8 सितम्बर, 2015

उत्तराखण्ड एवं पश्चिमी उ० प्र० भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र का नेमी आदेश  
संख्या- 11 / 37-जी-9 दिनांक 8 - 9 - 2015

1. भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत डिविजन-11 एवं डिविजन-1 (डिव०-11 से पदोन्नत) कर्मचारियों को द्वितीय एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकि अनुभाग के पत्र सं. ए-11019/1/2008-सी.डी.एन. दिनांक 08.06.2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं.-35034/3/2008-स्थापना (डी) दिनांक 19.05.2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग में गुप 'सी' स्थापना में डिविजन-11 एवं डिविजन-1 (डिव०-11 से पदोन्नत) निम्नलिखित कर्मचारी के नाम के सामने दर्शायी गई तारीख से पी.बी.2 रु 9300-34800+4600 ग्रेड पे में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिये एम.ए.सी.पी. योजना के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्रम सं.	नाम	पद	एम०ए०सी०पी० के लाभ की तिथि
1	श्री विक्रम सिंह रावत	अभिलेखपाल ग्रेड-11	01.01.2015

2. एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर उक्त कर्मचारी को नये वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिये एफ.आर.22 (1) (क) (1) के तहत विकल्प देना होगा।

3. उपरोक्त कर्मचारी के वेतन का निर्धारण सम्बन्धित कार्यालय अधीक्षक द्वारा किया जायेगा।

सन्निहित व्यय इस केन्द्र के वर्ष 2015-16 के लिये स्वीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जायेगा तथा समुचित लेखा शीर्ष के नाम डाला जायेगा।

प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं. सी- 5102/1902-एस.ए.सी.पी. (उत्तराखण्ड एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश जी०डी०सी०) दिनांक 17.08.2015

37-49

## 2. केन्द्रीय सरकार के अक्षम विकलांग कर्मचारी को अतिरिक्त वाहन भत्ता प्रदान करने के संबंध में ।

वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 21 (1)/97-ई-11/बी दिनांक 03.10.1977 के पैरा 3 (VI) एवं दिनांक 26.05.2000 के कार्यालय ज्ञापन सं. 21 (1)/97-ई-11/बी तथा Office of the Chief Medical Officer, Doon Hospital, Dehradun (Govt. of Uttarakhand) द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र सं. C.M.O./M-2/PD/2008 दिनांक 22.12.2012 (जिसमें सरकारी कर्मचारी की विकलांगता 45% (पैंतालीस प्रतिशत) दशायी गयी है) के आधार पर भारत के महासर्वेक्षक संतुष्ट होते हुए श्री सुरेश चन्द, खलासी को दिनांक 04.06.2013 (कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने की तिथि) से परिवहन भत्ता दुगुनी दर से (Transport Allowance at Double the Prescribed Rates) प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

इस पर होने वाला व्यय उत्तराखण्ड एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश भू-स्थानिक ऑकडा केन्द्र के वर्ष 2015-16 हेतु स्वीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जायेगा तथा समुचित लेखा शीर्ष के नाम डाला जायेगा।

प्राधिकार :- भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं. आर-4207/817-सी0ए0 दिनांक 14.07.2015

## 3. सेवानिवृत्त :-

1. मेजर जनरल जी.एस. चन्देला, अपर महासर्वेक्षक दिनांक 31.08.2015 को सेवानिवृत्त हुए।
2. इस केन्द्र के श्री ऋषि प्रसाद, खलासी दिनांक 31.08.2015 को सेवानिवृत्त हुये।

( डा० एस.के. सिंह )  
निदेशक

## वितरण :-

1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को सूचनार्थ।
2. अपर महासर्वेक्षक :- पूर्वी क्षेत्र/पूर्वोत्तर क्षेत्र/मध्य क्षेत्र/उत्तरी क्षेत्र/दक्षिणी क्षेत्र/ पश्चिमी क्षेत्र/विशिष्ट क्षेत्र/मुद्रण क्षेत्र/ भारतीय सर्वेक्षण प्रशिक्षण एवं मानचित्रण संस्थान।
3. अपर महासर्वेक्षक /निदेशक :- पंजाब, हरियाणा और चण्डीगढ़ भू.आं.के./जम्मू व कश्मीर भू.आं.के./हि.प्र. भू.आं.के./आसाम व नागालैण्ड भू.आं.के./मेघालय व अरुणाचल प्रदेश भू.आं.के./त्रिपुरा, मणीपुर व मिज़ोरम भू.आं.के./बिहार भू.आं.के./पश्चिम बंगाल, एवं सिक्कीम भू.आं.के./ तमिलनाडु और पाण्डिचेरी और अण्डमान व निकोबार भू.आं.के./उड़ीसा भू.आं.के./झारखण्ड भू.आं.के./छत्तीसगढ़ भू.आं.के./गुजरात व दमन व दिऊ भू.आं.के./महाराष्ट्रा एवं गोआ भू.आं.के./कर्नाटक भू.आं.के./केरल व लक्षद्वीप भू.आं.के./ सर्वे (हवाई) व दिल्ली भू.आं.के./ अन्तर्राष्ट्रीय सीमा निदेशालय/ मानचित्र अभिलेख एवं प्रचार केन्द्र/ उत्तरी मुद्रण वर्ग/ पूर्वी मुद्रण वर्ग/ मध्य प्रदेश जी.डी.सी./ राजस्थान जी.डी.सी./ पूर्वी उत्तर प्रदेश जी.डी.सी./ आन्ध्र प्रदेश जी.डी.सी./ पश्चिमी मुद्रण वर्ग/ दक्षिणी मुद्रण वर्ग/ भौगोलिक सूचना पद्धति और सुदूर सम्बेदन निदेशालय/ राष्ट्रीय जी.डी.सी./ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा देहरादून/ अंकीय मानचित्रण केन्द्र देहरादून।
4. केन्द्रीय वेतन एवं लेखा अधिकारी, देहरादून।
5. प्रभारी, मसूरी विंग/प्रभारी, विंग 1/प्रभारी, विंग 2/प्रभारी, विंग 3
6. स्थापना एवं लेखा अधिकारी/तकनीकी अधिकारी/हिन्दी अनुभाग/सहायक भण्डार अधिकारी/कार्यालय अधीक्षक (प्रशासन)/कार्यालय अधीक्षक (लेखा)/वाहन अधीक्षक/संवीक्षा अनुभाग/सुरक्षा पर्यवेक्षक।
7. प्रतिलिपि:- फाईल सं. 14-सी-1 (एम.ए.सी.पी.)/ गार्ड फाईल
8. ~~...~~